उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय , 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र सं0– सी- 43 /वसूली/ओ0टी0एस0/2020–21 दिनांक– 01-12-2020

समस्त शाखा प्रबन्धक/वरि0प्रबन्धक
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः **'एकमुश्त समाधान योजना (OTS) 2018' का 31 मार्च, 2021 तक विस्तार।**

प्रधान कार्यालय के परिपत्र सं0 सी–02/वसूली/ओ.टी.एस/2018–19 दि0 05.04.18 द्वारा बैंक में **"एक मुश्त समाधान योजना–2018"** लागू की गयी थी। जिसे पुनः **दि0 21.04.20 से 31.07.2020 तक** के लिये विस्तारित किया गया था। उक्त अवधि समाप्त होने के उपरान्त प्रदेश के किसानो के समक्ष कोरोना(Covid-19)वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थितियों में तात्कालिक रूप से राहत पहुॅचाने के दृष्टिगत **'एक मुश्त समाधान योजना'** को **31मार्च, 2021 तक बढ़ाये** जाने एवं योजना की अन्य शर्ते एवं नियम अन्तिम चरण में लागू व्यवस्था के अनुरूप किये जाने हेतु आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 से अनुरोध किया गया था।

प्रश्नगत प्रकरण में शासनादेश सं0 1860(1)/49–01–20–06(32)/13टीसी–1 सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 26 नवम्बर 2020 द्वारा **'एक मुश्त समाधान योजना 2018' का विस्तार 31 मार्च 2021 तक** किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिस पर आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0 के पत्र सं0 4439/अधि0–3(81) लखनऊ, दिनांक 01.12. 2020 द्वारा भी कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।

सन्दर्भित योजना की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की गयी है कि शासनादेश सं0 2217/49–01/2017–06 (32)/13 दिनांक 30 जनवरी 2018 में निर्गत शर्ते एवं प्रतिबन्ध अन्तिम चरण में लागू व्यवस्था के अनुरूप यथावत् रहेंगे। योजना शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च 2021 तक लागू मानी जायेगी।

अतः उक्तानुसार प्राप्त स्वीकृति के क्रम में बैंक परिपत्र सं0 सी–02/वसूली/ओ.टी.एस./2018–19 दि0 05.04.18 द्वारा **बैंक में लागू की गयी "एक मुश्त समाधान योजना–2018"** का विस्तार अन्तिम चरण में लागू व्यवस्था के अनुरूप **31 मार्च 2021 तक** के लिये किया जाता है। उक्तानुसार अल्प अवधि हेतु प्रदान की गयी स्वीकृति के दृष्टिगत योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करके अधिकाधिक बकायेदार कृषकों को लाभान्वित करते हुए बैंक की वसूली में तत्काल वृद्धि लाना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(ए0के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण उ0प्र0 सह0 ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ।
3. प्रबन्धक(कम्प्यूटर), समस्त सम्बन्धित को ई0मेल0 कराने हेतु।
4. समस्त जनपदीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
5. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता उ0प्र0।
6. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
9. आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश को सादर अवलोकनार्थ।
10. प्रमुख सचिव सहकारिता, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।
11. मा0 सभापति, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, लखनऊ को सादर अवलोकनार्थ।

प्रबन्ध निदेशक

संख्या–1860/49–1–20–6(32)/13टीसी–।

प्रेषक,

एम0वी0एस0 रामी रेड्डी
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता उ0प्र0
लखनऊ।

सहकारिता अनुभाग–1 लखनऊ दिनांक 26 नवम्बर, 2020

विषयः–उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में लागू एक मुश्त समाधान योजना–2018 की अवधि 31 मार्च, 2021 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक–4225/अधि–3(81)/ दिनांक 12.11.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश सं0–2217/49–01–2017–06(32)/13 दिनांक 30 जनवरी, 2018, शासनादेश सं0–689/49–01–2019–06(32)/13टीसी–। दिनांक 27 मई, 2019, शासनादेश सं0–1072/49–01–2019–06(32)/13टीसी–। दिनांक 28 जून, 2019, शासनादेश सं0–1933/49–01–2019–06(32)/13टीसी–। दिनांक 13 नवम्बर, 2019 तथा शासनादेश सं0–642/49–01–2020–06(32)/13टीसी–। दिनांक 21 अप्रैल, 2020 द्वारा उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 में लागू एक मुश्त समाधान योजना 2017–18 की अवधि शासन स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त 31 मार्च, 2021 तक विस्तारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त शासनादेश दिनांक 30 जनवरी, 2018 में इंगित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेगें। योजना शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 31 मार्च, 2021 तक लागू मानी जायेगी।

भवदीय,

(एम0वी0एस0 रामी रेड्डी)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या–1860 (1)/49–01–2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 को उनके कार्यालय पत्रांक–60596–97/वसूली/ओटीस/दिनांक 03.11.2020 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

आज्ञा से,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव

(8)

उ0 प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0 प्रधान कार्यालय, 10, माल एवेन्यू, लखनऊ।

परिपत्र सं0- सी- 02 /वसूली/ओ0टी0एस0/2018-19 दिनांक- 05.04.2018

समस्त शाखा प्रबन्धक,
उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

विषयः "एक मुश्त समाधान योजना(OTS योजना) 2018"

उ0प्र0 सरकार द्वारा घोषित 'ऋण मोचन योजना–2017' मात्र फसली ऋणों हेतु लागू की गई है, इस योजना में निवेश ऋण को सम्मिलित नहीं किया गया है। चूँकि बैंक द्वारा मध्यावधिक एवं दीर्घकालीन निवेश ऋण ही वितरित किया जाता है। अतएव इस बैंक के बकायेदार कृषकों को उक्त योजना का लाभ नहीं मिल सका है।

उपर्युक्त के दृष्टिगत बैंक के ऐसे बकायेदार जो कतिपय कारणों से अपना बकाया अदा नहीं कर पाये है उन्हे पुनः ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने, बकायेदार कृषकों को राहत पहुँचाने, बैंक की वसूली में सुधार लाने एवं बैंक के बढ़ते हुए एन.पी.ए. में कमी लाने के उद्देश्य से **शासन के पत्र सं0 2217/49– 01–17–06(32)/13 दि0 30.01.2018 एवं** कार्यालय **आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उ0प्र0 के पत्रॉक–53/अधि0–3(81)/भू0वि0बैं0/लखनऊ दिनॉक 04.04.2018 एवं** द्वारा प्राप्त स्वीकृति/निर्देश के क्रम में **"एकमुश्त समाधान योजना–2018"** निम्न शर्तो के अधीन लागू किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। **जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।**

एकमुश्त समाधान योजना' के अन्तर्गत बकायेदार कृषकों को अधोलिखित तीन श्रेणियों में बॉटा गया हैः–

श्रेणी–1 :–ऐसे बकायेदार कृषक, जिन्होंने 31 मार्च, 1997 तक अथवा उससे पूर्व ऋण प्राप्त किया है, परन्तु उसके द्वारा अद्यतन प्राप्त ऋण राशि, ब्याज सहित वापस नहीं किया गया है, उनको इस श्रेणी में आच्छादित किया जायेगा।

श्रेणी–2 :–दिनांक 1 अप्रैल, 1997 को अथवा उसके पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2007 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषक, जो दिनांक 30 जून, 2017 को बकायेदार हो गये हैं, उन्हें इस श्रेणी में रखा जायेगा।

श्रेणी–3 :–दिनांक 1 अप्रैल, 2007 को अथवा उसके पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2012 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषक जिनके ऋण की समस्त किश्तें देय हो चुकी हों तथा जो दिनांक 30 जून, 2017 को बकायेदार हो गये हैं, उन्हें इस श्रेणी में रखा जायेगा।

'एकमुश्त समाधान' योजनान्तर्गत अनुमन्य छूटः–

श्रेणी–1:–दिनांक 31 मार्च, 1997 तक अथवा उक्त तिथि से पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत बकायेदार कृषको उनपर देय कुल अवशेष मूलधन की शत प्रतिशत वसूली करते हुए उनपर देय समस्त ब्याज माफ किया जायेगा।

श्रेणी–2:–दिनांक 1 अप्रैल, 1997 को अथवा उसके पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2007 तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषक, जो दिनांक 30 जून, 2017 को बकायेदार हो गये हैं। उन्हें अधोलिखित विवरण के अनुसार ब्याज में छूट अनुमन्य की जायेगी।

(क) जिन प्रकरणों में वितरित ऋणराशि के बराबर या अधिक ब्याज की वसूली कर ली गयी है, उनमें अवशेष मूलधन लिया जायेगा।

(ख) जिन प्रकरणों में वितरित ऋणराशि से कम ब्याज की वसूली की गयी है उनमें वितरित ऋण राशि की सीमा तक (पूर्व में वसूल ब्याज को घटाते हुये) अवशेष ब्याज व अवशेष मूलधन की वसूली की जायेगी।

उपर्युक्त दोनों श्रेणियों के पात्र ऋणी सदस्यों को दी जाने वाली छूट अधोलिखित प्रतिबन्ध के अधीन होगी–

(1) योजना की स्वीकृति प्राप्त/लागू होने तिथि से 4 माह(तिथि का निर्धारण स्वीकृति प्राप्त की तिथि से आगणित किया जायेगा तथा माह की अन्तिम तिथि तक निर्धारित होगी) तक के मध्य समझौता कर खाता बन्द करते हैं तो उनसे उक्तानुसार आगणित धनराशि (श्रेणी–1 अथवा श्रेणी–2 में प्रस्तावित धनराशि) की वसूली की जायेगी,

(2) उक्त अवधि(योजना की स्वीकृति प्राप्त/लागू होने तिथि से 4 माह) के बाद से आगामी 3 माह के मध्य समझौता कर खाता बन्द करते हैं तो उपर्युक्त बिन्दु सं0 (1) के अनुसार कुल वसूल की जाने वाली आगणित राशि पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज वसूल किया जायेगा तथा

(3) इसी प्रकार बिन्दु सं0 2 की निर्धारित अवधि व्यतीत होने(योजना की स्वीकृति प्राप्त/लागू होने तिथि से 7 माह) के बाद से आगामी 3 माह (माह की अन्तिम तिथि तक) के मध्य समझौता कर खाता बन्द करते हैं तो उपर्युक्त बिन्दु सं0 (1) के अनुसार कुल वसूल की जाने वाली आगणित राशि पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज वसूल किया जायेगा।

श्रेणी 3:–दिनांक **1 अप्रैल, 2007 को अथवा उसके पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2012** तक के मध्य ऋण लेने वाले कृषक, जो दिनांक 30 जून, 2017 को बकायेदार हो गये हैं। ऐसे कृषकों से, उन पर पर **देय समस्त मूलधन की शत–प्रतिशत वसूली की जायेगी**, तथा अधोलिखित विवरण के अनुसार ब्याज में छूट अनुमन्य की जायेगी–

(क) योजना की स्वीकृति प्राप्त/लागू होने होने तिथि से 4 माह (तिथि का निर्धारण स्वीकृति प्राप्त की तिथि से आगणित किया जायेगा तथा माह की अन्तिम तिथि तक निर्धारित होगी) तक के मध्य समझौता कर खाता बन्द करते हैं तो समझौते की तिथि तक उस पर देय समस्त प्रकार के ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट अनुमन्य की जायेगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत ब्याज की वसूली उक्त तिथि को कृषक से की जायेगी।

(ख) उक्त अवधि (योजना की स्वीकृति प्राप्त/लागू होने तिथि से 4 माह) के बाद से आगामी 3 माह (माह की अन्तिम तिथि तक)के मध्य समझौता कर खाता बन्द करते हैं तो देय समस्त प्रकार के ब्याज का 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य किया जायेगा तथा अवशेष 60 प्रतिशत ब्याज की वसूली कृषक से की जायेगी।

(ग) इसी प्रकार बिन्दु सं0 'ख' की निर्धारित अवधि व्यतीत होने (योजना की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त से 7 माह) के बाद से आगामी 3 माह (माह की अन्तिम तिथि तक) के मध्य समझौता कर खाता बन्द करते हैं तो देय समस्त प्रकार के ब्याज का 35 प्रतिशत की छूट अनुमन्य किया जायेगा तथा अवशेष 65 प्रतिशत ब्याज की वसूली कृषक से की जायेगी।

इन तीनों ही श्रेणियों के ऋणी सदस्य जिनपर उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 95 'क'/वसूली प्रमाण पत्र के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है उनसे तत्समय प्रचलित नियमों के अनुरूप संग्रह शुल्क वसूल किया जायेगा।

योजना की शर्तेः–

1. योजना में समझौता करने वाले, प्रार्थना पत्रों की स्वीकृति सम्बन्धित शाखा प्रबंधक द्वारा की जायेगी, किन्तु श्रेणी–1 के अन्तर्गत आच्छादित कृषकों के लिए एक रजिस्टर पर छूट का विस्तृत विवरण पूर्व से तैयार कर जनपदीय शाखा हेतु जनपदीय/मण्डलीय पर्यवेक्षक द्वारा तथा अन्य शाखाओं हेतु सम्बन्धित जनपदीय शाखा प्रबंधक द्वारा छूट के पात्र कृषकों का अनुमोदन किया जायेगा।
2. योजना का लाभ पाने वाले कृषकों को एकमुश्त सम्पूर्ण धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा।
3. इन तीनों ही श्रेणियों के ऋणी सदस्य जिन पर उ0प्र0 सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 95 'क'/वसूली प्रमाण पत्र के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है उनसे तत्समय प्रचलित नियमों के अनुरूप संग्रह शुल्क वसूल किया जायेगा।
4. योजनान्तर्गत कृषकों को दी जाने वाली ब्याज में छूट की धनराशि को सम्बन्धित शाखा के लाभ–हानि खाते में ही प्रभारित किया जायेगा।
5. योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार तथा व्यक्तिगत सम्पर्क के माध्यम से कृषकों को योजना की सम्पूर्ण जानकारी दिया जाना अपेक्षित होगा।

संलग्नक–समझौते का प्रारूप एवं रजिस्टर का प्रारूप।

(के0पी0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त प्रबन्धक (श्रेणी–1/2), विशेष वसूली सेल, उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ।
2. समस्त अधिकारीगण/समस्त मण्डल पर्यवेक्षक उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0/प्रशि0 केन्द्र लखनऊ।
3. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।
4. समस्त उप आयुक्त एवं उप निबन्धक सहकारिता उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. मुख्य महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ।
8. निजी सचिव, मा0 सभापति प्र0का0 लखनऊ, मा0 सभापति महोदय के अवलोकनार्थ।
9. आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता, उत्तर प्रदेश।
10. अपर मुख्य सचिव सहकारिता, उ0प्र0 शासन लखनऊ।

05.04.2018

(आर0बी0गुप्ता)
मुख्य महाप्रबन्धक(वसूली)

(5)

:समझौते हेतु सहमति पत्रः

शाखा प्रबन्धक
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
शाखा–.....
जनपद–.....

मैंने बैंक द्वारा घोषित ''एक मुश्त समाधान योजना–2018 का भली–भॉति अध्ययन कर लिया है। मैं/हम बैंक द्वारा घोषित ''एक मुश्त समाधान योजना में मैं अपना बकाया धनराशि जमा करने का इच्छुक हूॅ। अतः मुझे नियमानुसार अनुमन्य छूट प्रदान करते हुए बकाया धनराशि एक मुश्त जमा करने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।
दिनॉकः.....

प्रार्थी

(ह0)

पूरा नाम–
पिता कानाम–
पूरा पता–
खाता सं0–

(क) बैंक की कुल देय धनराशिः– रू0 .....

(ख) ओटीएस के अन्तर्गत छूट की कुल धनराशिः– रू0 .....

(क) समझौता के अन्तर्गत जमा की जाने वाली
कुल देय धनराशि(क–ख):– रू0 .....

स्वीकृति

(शाखा प्रबन्धक)

एक मुश्त समाधान योजना 18 के अन्तर्गत शाखा पर बकायेदरों को प्रदान की जाने वाली छूट हेतु रजिस्टर का प्रारूप--

क0सं0	बकायेदार कृषक का नाम	पिता का नाम	पता	खाता सं0	ऋण वितरण		ओ0टी0एस0 के अन्तर्गत आच्छादित कुल धनराशि				कुल देय छूट	समझौता के अन्तर्गत जमा की गई धन0
					दि0	धन0	मूल0	ब्याज	टिप्पणी कॉलम की धन0	कुल योग		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13